महोबा पुलिस

दिनांक- 22.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 87/26

साप्ताहिक परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

आज दिनांक 22.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात परेड का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए पुलिस बल को अनुशासन, एकरूपता एवं उत्कृष्ट टर्नआउट बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

परेड उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान परिवहन शाखा का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए वहां रखे अभिलेखों एवं उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान पेशी रजिस्टर का अवलोकन कर अभिलेखों की गुणवत्ता एवं अद्यतन स्थिति की जांच की गई तथा अभिलेखों के समुचित संधारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त डायल-112 वाहनों का निरीक्षण कर उनमें उपलब्ध फर्स्ट एड किट की जांच की गई। इस दौरान सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

दिनांक- 22.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 88/26

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस का डिजिटल कदम—

विवेचना अधिकारियों को टैबलेट वितरण एवं आधुनिक ऐप्स का प्रशिक्षण।

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय के आदेश के क्रम में एवं नवीन आपराधिक अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिसिंग को और अधिक सशक्त एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु महत्वपूर्ण पहल की गई।

आज दिनांक 22.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी अपराध श्री गौरव उपाध्याय द्वारा जनपद के विभिन्न थानों पर नियुक्त विवेचना अधिकारियों को कुल 92 अदद टैबलेट वितरित किए गए। इन टैबलेट्स का उद्देश्य विवेचना कार्य को डिजिटल, पारदर्शी एवं तीव्र बनाना है।

उक्त क्रम में दिनांक 17.05.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन सभा कक्ष में DC CCTNS सहायक उपनिरीक्षक रहमान रशीद एवं सहायक उपनिरीक्षक अंकुर जायसवाल की उपस्थिति में समस्त विवेचना अधिकारियों को टैबलेट के प्रभावी उपयोग हेतु विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऐप्स के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई—

- **e-Sakshya:** डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित संग्रहण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण हेतु
- **UP COP:** जनसामान्य की शिकायत एवं पुलिस सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन हेतु
- **Bhashini:** भाषा अनुवाद एवं वॉयस-टू-टेक्स्ट सुविधा के माध्यम से विवेचना में सहायता हेतु
- **e-Summons:** न्यायालयीन समन की डिजिटल तामील एवं ट्रैकिंग हेतु
- **यक्ष ऐप:** विवेचना प्रबंधन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने हेतु

इस पहल के माध्यम से महोबा पुलिस द्वारा तकनीक आधारित आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए विवेचना की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन डिजिटल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय दिलाया जा सके।

दिनांक- 22.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 89/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना महोबा के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.05.2026 को उ0नि0 श्री मौजीलाल वर्मा एवं उ0नि0 श्री लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह रि0आ0 सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में उ0नि0 श्री नरोत्तम सिंह मय हमराह रि0का0 विक्रम कुमार पाल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. सीताराम पुत्र स्व0 लल्लू उम्र लगभग 70 वर्ष, 2. प्रमोद उर्फ प्रदीप पुत्र सीताराम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासीगण ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा, जो कि एनसीआर संख्या 39/2019 धारा 323/504 भादवि से संबंधित थे, को ग्राम तमौरा से गिरफ्तार किया गया तथा 3. मान सिंह पुत्र विश्वनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा, जो कि मु0अ0सं0 108/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित था, को गिरफ्तार किया गया।

उक्त सभी अभियुक्तगण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में वारण्टी थे। गिरफ्तारी उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मौजीलाल वर्मा, थाना खन्ना जनपद महोबा
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मीनारायण सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा
3. उ0नि0 श्री नरोत्तम सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा
4. रि0आ0 सुरेन्द्र कुमार यादव, थाना खन्ना जनपद महोबा
5. रि0का0 विक्रम कुमार पाल, थाना खन्ना जनपद महोबा

वारण्टी अभियुक्त –

1. सीताराम पुत्र स्व0 लल्लू, उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा
2. प्रमोद उर्फ प्रदीप पुत्र सीताराम, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा
3. मान सिंह पुत्र विश्वनाथ, उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 22.05.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या-90/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 22.05.2026 को उ0नि0 पवन गौड़, मय हमराह का0 रामकुमार तिवारी द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त महेश पुत्र राकेश राजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, जो एनबीडब्ल्यू मु0नं0 444/2023, मु0अ0सं0 29/23 धारा 306 भादवि से संबंधित है, को गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पवन गौड़, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. आरक्षी रामकुमार तिवारी, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

महेश पुत्र राकेश राजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम किल्हौवा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा